

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 08, गुरुवार, शाके 1947- अक्टूबर 30, 2025 Kartika 08, Thursday, Saka 1947- October 30, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2025

संख्या जविप्रा/उपा/जोन-5/2025/18022594 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कृष्णा विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या-13 क्षेत्रफल 283.47वर्गगज भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-03के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 05.03.2025द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कृष्णा विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या-13 क्षेत्रफल 283.47वर्गगज भूमि जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025व जोनल विकास योजना-03 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाता है। यह अधिसूचना आज दिनांक 10-10-2025को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।

825

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।